



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.डी.-अ.-19062020-220033
CG-DD-E-19062020-220033

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1754]
No. 1754]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 19, 2020/ज्येष्ठ 29, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 19, 2020/JYAISTHA 29, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2020

का.आ. 1972(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2051(इ) तारीख 21, जून, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 234 (नया रारा 75) के कि.मी. 552/950 से कि.मी. 577/545 (मंगलौर - तिरुवन्नामलाई सड़क) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/4 लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "15, अगस्त, 2019" को "दी हिन्दू" इंग्लिश और तारीख "15, अगस्त, 2019" को "साक्षी" तेलुगु में प्रकाशित किया गया था ;

और जबकि सक्षम प्राधिकारी को किसी भी व्यक्ति से कोई आपत्ति नहीं मिली है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 234 (नया रारा 75) के कि.मी. 552/950 से कि.मी. 577/545 (मंगलौर - तिरुवन्नामलाई सड़क) तक के भूखंड में पड़ने वाली संरचना सहित या संरचना रहित अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश		जिले का नाम: चित्तूर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: वेंकटगिरि कोटा				
	गांव का नाम: बोयचिन्नागना पल्ली				
1	326 / 4	सरकारी(डी के टी)	ड्राई	0.016188	मुनिवेंकटप्पा स/ओ मुनस्वामी ()
2	326 / 5	सरकारी(डी के टी)	ड्राई	0.072846	गोविंदप्पा स/ओ वेंकटस्वामी ()
3	327 / 3	सरकारी(डी के टी)	ड्राई	0.020235	गणना सेखर स/ओ चिन्नाप्पय्या ()
	गांव का नाम: मुदारमडोडु				
4	687 / 2	सरकारी(डी के टी)	ड्राई	0.198303	मुनेममा व/ओ सुब्रमण्यम (६८७ / ३)
5	687 / 2	सरकारी(डी के टी)	ड्राई	0.084987	सुब्रमण्यम स/ओ वेंकटस्वामी (६८७ / ४)
6	687 / 2	सरकारी(डी के टी)	ड्राई	0.04047	गोपालप्पा स/ओ वेंकटस्वामी (६८७ / ५)

7	844 / 5	सरकारी(डी के टी)	ड्राई	0.039765	दमोधरचरि स/ओ कन्नाचारि (८४४ / ९)
			कुल	0.472794	

[फा.सं. RW/ NH-12011/28/2015-AP/P-7/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2020

S.O. 1972(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 2051 (E), dated 21st, June, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four laning, etc.) maintenance, management and operation of National Highway No.234 (New NH-75) in the stretch of land from Km.552.950 to 577.545 (Mangalore - Thiruvannamalai road) in the district of CHITTOOR in the state of ANDHRA PRADESH;

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Hindu” English daily, dated: 15th, August, 2019 and “Saakshi” Telugu daily, dated 15th, August, 2019 under sub-section (3) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956);

And whereas no objections have been received from any person by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 552/950 to Km. 577/55 (Managalore - Thiruvannamalai Road) in the National Highway No. 234 (New NH-75) in the district of CHITTOOR in the state of ANDHRA PRADESH

State: ANDHRA PRADESH District: CHITTOOR					
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: VENKATAGIRI KOTA				
	Village: BOYACHINNAGANA PALLI				
1	326 / 4	Government(D K T)	Dry	0.016188	Munivenkatappa S/o Munaswamy
2	326 / 5	Government(D K T)	Dry	0.072846	Govindappa S/o Venkataswamy
3	327 / 3	Government(D K T)	Dry	0.020235	Gnanasekhar S/o Chinnapaiah
	Village: Mudaramdoddi				
4	687 / 2	Government(D K T)	Dry	0.198303	Munemma W/o Subramanyam 687 / 3

5	687 / 2	Government(D K T)	Dry	0.084987	Subramanyam S/o Venkataswamy 687 / 4
6	687 / 2	Government(D K T)	Dry	0.04047	Gopalappa S/o Venkataswamy 687 / 5
7	844 / 5	Government(D K T)	Dry	0.039765	Damodharachari S/o Kannachari 844 / 9
			TOTAL	0.472794	

[F.No. RW/ NH-12011/28/2015-AP/P-7/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.